


कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़)

‘प्रेस विज्ञापित’

क्रमांक/1568/खाद्य/2015

बीजापुर, दिनांक : 20 /05/2015

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 के निहित प्रावधानों के अनुसार अनुविभाग बीजापुर के ग्राम पंचायत पीडिया, मोरमेड, कमकानार, पेदाकोरमा, बुरजी, जैवारम, हुरागुवाली, नेलसनार, बडेतुंगाली, रानीबोदली, मंगापेठा, कोतरापाल, फुल्लोड, मण्डेम, दारापाल एवं अनुविभाग भोपालपटनम् के अन्तर्गत भद्राकाली, सण्ड्रापल्ली, केसाईगुडा, गोटाईगुडा, दम्मूर, चंदूर, संगमपल्ली, कोत्तूर, अर्जुनल्ली, पेगडापल्ली में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन के लिए इच्छुक एजेन्सी यथा, वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, (लैम्पस) ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समिति, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम एवं प्राथमिक कृषि साख समितियां से आवेदन पत्र दिनांक 18/05/2015 तक मंगाए गए थे उसमें आंशिक संशोधन करते हुए अंतिम तिथि 10 जून 2015 तक आमंत्रित किया जाता है।



डिप्टी कलेक्टर

ब्रास्ते, कलेक्टर जिला बीजापुर

बीजापुर, दिनांक : 20 /05/2015

पृ0क्रमांक/1568A/खाद्य/2015
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संरक्षण संचालनालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. खाद्य अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार, बीजापुर/भैरमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बीजापुर/भैरमगढ़/उसूर/भोपालपटनम् को सूचनार्थ एवं दुकानों के आबंटन हेतु सूची सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
6. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशन करने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं बीजापुर के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. सर्व, खाद्य निरीक्षक, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायतको सूचनार्थ एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु अग्रेषित।


डिप्टी कलेक्टर

ब्रास्ते, कलेक्टर जिला बीजापुर